न्यायालय जनपद न्यायाधीश, मथुरा।
सिविल अपील संख्या 40/2025
सुरेशचन्द प्रति नारायन प्रसाद

24.02.2026

पत्रावली प्रार्थनापत्र 5 ग पर आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 5 ग पर विगत तिथि पर सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 5 ग–

प्रार्थनापत्र 5 ग अपीलार्थी की ओर से मुख्यतः इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.04.2025 के विरूद्ध उपरोक्त सिविल अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी उम्मीद है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड़ में प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी से वादीगण को जबरन बेदखल करके स्वयं कब्जा करके, प्रश्नगत आराजी की प्रकृति आदि परिवर्तित करने की फिराक में हैं, यदि रेस्पोन्डेन्टस ऐसा करने में कामयाब हो गये तो अपील दाखिल करने की मंशा ही समाप्त हो जायेगी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का प्रभाव दौरान अपील स्थगित किया जाना अथवा दौरान अपील रेस्पोन्डेन्टस को निषेधित किया जाना कि वे प्रश्नगत आराजी पर से अपीलार्थीगण को जबरन बेदखल करने या प्रश्नगत सम्पत्ति की प्रकृति बदलने से निषेधित रहें अथवा विकल्प में मौके पर यथास्थिति कायम रखी जाये।

प्रार्थनापत्र के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्टस की ओर से आपत्ति 11 ग दाखिल कर प्रार्थनापत्र के कथनों को गलत बताया गया है तथा मुख्यतः कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष पूर्णतः सही है कि अपीलार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि बैनामा दिनांक 23.05.2000 उनसे धोखे से कराया गया है। इसके अतिरिक्त जब प्रश्नगत आराजी पर उसके क्रेताओं का कब्जा अपीलार्थी की जानकारी में चला आ रहा है तो उस अवस्था में अपीलार्थीगण को तथाकथित रूप से बेदखल करके रेस्पोन्डेन्टस के द्वारा कब्जा करने का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता। प्रश्नगत आराजी को रेस्पोन्डेन्टस के द्वारा कब्जा प्राप्त करने के बाद जोता एवं बोया जा रहा हैं। अपीलार्थीगण की मंशा गलत तथ्यों के आधार पर निषेधाज्ञा आदेश हासिल कर रेस्पोन्डेन्टस को प्रश्नगत आराजी को जोतने एवं बोने न दे, जिससे प्रश्नगत आराजी बंजर हो जाये। अपीलार्थीगण द्वारा उनके द्वारा विक्रय की गयी सम्पत्ति की कोई भी लम्बाई तथा चौड़ाई नहीं दी, ना ही नक्शा वादपत्र में जोकि मौके के विरूद्ध है, में वादगत आराजी की कोई भी लम्बाई तथा चौड़ाई दी है। प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि सम्बन्धित मूलवाद संख्या 229/2009 वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 23.05.2000 के निरस्तीकरण एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने निर्णय/डिक्री दिनांकित 11.04.2025 के माध्यम से वादीगण का वाद खारिज कर दिया है, जिस निर्णय/आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत सिविल अपील दाखिल की गयी। अपील के साथ प्रार्थनापत्र 5 ग अंतरिम निषेधाज्ञा अथवा मौके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रस्तुत किया गया। दौरान विचारण अपील, अपीलार्थीगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद 227 संख्या 14926/2025 सुरेश चन्द व अन्य बनाम नारायन प्रसाद मृतक व अन्य योजित की गयी, जिसमें पारित आदेश दिनांकित 01.12.2025 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका इन निर्देश के साथ निस्तारित कर दी कि जिला न्यायाधीश, मथुरा उपरोक्त अंतरिम अनुतोष प्रार्थनापत्र को विधिनुसार शीघ्रता के साथ यथासम्भव आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल किये जाने से

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.02.24 17:09:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

12 सप्ताह के अन्दर निस्तारित करें।

अपीलार्थीगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित विधिव्यवस्थाएं दाखिल की गयी हैं–

(i) Satish Chandra Vs. Km. Devi & Ors. 2013(2) JCLR 704 (All)(LB)

(ii) Smt. Indrawati & Anr. Vs. Smt. Pati Mishra & Ors.

(iii) Dharamraj alias Dharmu Yadav Vs. The District Judge, Ambedkar Nagar & Ors.

(iv) Anupam Sahkari Avas Samiti Ltd. Vs Addl. District Judge, Court No. 4, Lucknow & Others

उपरोक्त विधिव्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले के तथ्य व परिस्थितियों में उपरोक्त विधिव्यवस्थाएं लागू नहीं होती हैं।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत विक्रय विलेख दिनांकित 23.05.2000 मूलरूप में का०सं० 135 क के रूप में उपलब्ध है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विक्रय विलेख के पृष्ठ–7 पर उल्लिखित है कि " बैनामा वाली आराजी पर क्रेतागण का कब्जा आज की तारीख से करा दिया''। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त सम्पत्ति/आराजी पर प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण का कब्जा बैनामा दिनांक से है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि उक्त विक्रयपत्र एक पंजीकृत दस्तावेज है और यह सुस्थापित विधि है कि पंजीकृत दस्तावेज के सत्य होने की उपधारणा की जायेगी जब तक कि उक्त पंजीकृत दस्तावेज सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त न कर दिया जाये।

इस प्रकार जब अपीलार्थीगण/वादीगण प्रश्नगत सम्पत्ति पर कब्जे में नहीं है एवं उक्त आराजी पर प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण का कब्जा है तो उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा अथवा यथास्थिति का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत विक्रय विलेख दिनांकित 23.05.2000 के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का कोई प्रतिकूल आदेश न होने के कारण उक्त अभिलेख अभी भी अखण्डित है।

उपरोक्त विमर्शन के प्रकाश में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 5 ग स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 5 ग निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 10.03.2026 को पेश हो।

(विकास कुमार–।)
जनपद न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No. U.P. 1910